रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2627] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2015/अग्रहायण 17, 1937
No .2627] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2015/AGRAHAYANA 17, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2015

(आय-कर)

का. आ. 3312 (अ).-केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92गख और धारा 92घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10घ में उपनियम (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, जहां तक वह नियम 10नजख में निर्दिष्ट किसी पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार से संबंधित है, नियम 10नजक में वर्णित किसी पात्र निर्धारिती के मामले में लागू नहीं होगी और—

(क) नियम 10नजक के खंड (i) में निर्दिष्ट पात्र निर्धारिती निम्नलिखित सूचना और दस्तावेजों को रखेगा और बनाए रखेगा, अर्थात् :--

(i) निर्धारिती उद्यम के स्वामित्व ढांचे का विवरण और साथ ही दूसरे उद्यमों द्वारा उसमें धारित शेयरों या अन्य स्वामित्व हित का ब्यौरा ;

(ii) निर्धारिती के कारबार का और उस उद्योग का, जिसमें निर्धारिती कार्य करता है और उन सहयुक्त उद्यमों के, जिनके साथ निर्धारिती ने संव्यवहार किया है, कारबार का विस्तृत विवरण ;

(iii) प्रत्येक सहयुक्त उद्यम के साथ किए गए विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों की प्रकृति और निबंधन (कीमतों सहित) तथा ऐसे प्रत्येक संव्यवहार की मात्रा और मूल्य या ऐसे संव्यवहार का वर्ग ;

(iv) विनियामक आयोग के समक्ष कार्यवाहियां, यदि कोई हों, का अभिलेख और विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में ऐसे आयोग के आदेश ;

(v) विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की अंतरण कीमत अवधारित करने के लिए किए गए वस्तुत: कार्य का अभिलेख ;

(vi) पूर्वानुमान, नीतियां और कीमत परक्रामण, यदि कोई हों, जिन्होंने अंतरण कीमत के अवधारण को निर्णायक रूप से प्रभावित किया हो ;

(vii) कोई अन्य जानकारी, डाटा या दस्तावेज, जिसके अंतर्गत सहयुक्त उद्यम से संबंधित जानकारी या डाटा भी है, जो अंतरण कीमत का अवधारण करने के लिए सुसंगत हो ।

(ख) नियम 10नजक के खंड (ii) में निर्दिष्ट पात्र निर्धारिती निम्नलिखित सूचना और दस्तावेजों को रखेगा और बनाए रखेगा, अर्थात् :--

(i) निर्धारिती सहकारी सोसाइटी के स्वामित्व ढांचे का विवरण और साथ ही दूसरे सदस्यों द्वारा उसमें धारित शेयरों और अन्य स्वामित्व हित का ब्यौरा ;

(ii) सदस्यों का विवरण, जिसके अंतर्गत उनके पते और सदस्यता की कालावधि भी है ;

(iii) प्रत्येक सदस्य के साथ किए गए विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों की प्रकृति और निबंधन (कीमतों सहित) तथा ऐसे प्रत्येक संव्यवहार की मात्रा और मूल्य या ऐसे संव्यवहार का वर्ग ;

(iv) विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की अंतरण कीमत अवधारित करने के लिए किए गए वस्तुत: कार्य का अभिलेख ;

(v) पूर्वानुमान, नीतियां और कीमत परक्रामण, यदि कोई हों, जिन्होंने अंतरण कीमत के अवधारण को निर्णायक रूप से प्रभावित किया हो ;

(vi) पारदर्शी रीति में नेमी रूप से कीमत घोषित करने के संबंध में और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होने वाले दस्तावेज ; और

(vii) कोई अन्य जानकारी, डाटा या दस्तावेज, जो अंतरण कीमत का अवधारण करने के लिए सुसंगत हो ;

3. उक्त नियमों के नियम 10 नजक में, "और विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण के कारबार में लगी हुई कोई सरकारी कंपनी है", शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"और —

(i) विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण के कारबार में लगी हुई कोई सरकारी कंपनी है ; या

(ii) दुग्ध या दुग्ध उत्पादों के उपापन और वितरण के कारबार में लगी कोई सहकारी सोसाइटी है" ।

4. उक्त नियमों के नियम 10 नजख के खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"या

(iv) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा उसके सदस्यों से दुग्ध या दुग्ध उत्पादों का क्रय।"।

5. उक्त नियमों के नियम 10 नजग के उप नियम (2) की सारणी में, क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“2	नियम 10 नजख के खंड (iv) में निर्दिष्ट दुग्ध या दुग्ध उत्पादों का क्रय।	दुग्ध या दुग्ध उत्पादों की कीमत का अवधारण उस दर पर किया जाता है, जिसे दुग्ध की क्वालिटी, अर्थात् दुग्ध की वसा अंतर्वस्तु और ठोस अंतर्वस्तु, जो वसा नहीं है (एस.एन.एफ.) के आधार पर तय किया जाता है ; और -- (क) उक्त दर का अवधारण निम्नलिखित पर ध्यान न देते हुए किया जाता है, -- (i) उपापत की गई दुग्ध की मात्रा ; (ii) सहकारी सोसाइटी में सदस्यों द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत ; (iii) सोसाइटी में सदस्यों द्वारा धारित मतदान की शक्ति ; और (ख) ऐसी कीमतों को सहकारी सोसाइटी द्वारा नियमित रूप से एक पारदर्शक रीति में घोषित किया जाता है और वे जनता के लिए उपलब्ध हैं।”।

6. उक्त नियमों के नियम 10 नजघ के उप नियम (1) के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2013 या 1 अप्रैल, 2014 या 1 अप्रैल, 2015 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किए गए, नियम 10 नजख के खंड (iv) में निर्दिष्ट पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों की बाबत, निर्धारिती द्वारा 31 दिसंबर, 2015 को या उससे पूर्व प्ररुप 3गङचख प्रस्तुत किया जा सकेगा।”

7. उक्त नियमों के परिशिष्ट 2 के प्ररुप संख्या 3गङचख के उप पैरा (2) की सारणी में क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

<table>
<tr><td>“2</td><td>क्या पात्र निर्धारिती ने नियम 10नजख के खंड (iv) में निर्दिष्ट दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के क्रय के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार किया है ?</td><td>हां/नहीं</td></tr>
<tr><td></td><td>यदि हां तो निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध कराएं :
(क) वर्ष के दौरान सदस्यों से क्रय किए गए दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की मात्रा।
(ख) सदस्यों से क्रय किए गए दुग्ध उत्पादों के समतुल्य दुग्ध के ब्यौरे।
(ग) ऐसी दर या दरें, जिन पर वर्ष के दौरान दुग्ध या दुग्ध उत्पादों का क्रय किया गया है।
(घ) क्या दुग्ध या दुग्ध उत्पादों के क्रय के लिए संदाय सहकारी सोसाइटी के सभी सदस्यों को समान दर पर किया गया है।
(ङ) क्या अंतरण मूल्य नियम 10नजग में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है।</td><td><table><tr><td>दुग्ध उत्पाद</td><td>दुग्ध समतुल्य</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>दर</td><td>वह अवधि जिसके दौरान दर लागू थी</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>
हां/नहीं

हां/नहीं”।</td></tr>
</table>

[अधिसूचना सं. 90/2015/फा.सं. 142/7/2014-टीपीएल]

एकता जैन, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण :-- मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969 (अ), तारीख 28 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 923(अ) तारीख 2 दिसंबर, 2015 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TEXAS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2015

INCOME- TAX

S.O. 3312(E).— In exercise of the powers conferred by sections 92CB and 92D, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (19^{th} Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 10D, for sub-rule (2A), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2A) Nothing contained in sub-rule (1), in so far as it relates to an eligible specified domestic transaction referred to in rule 10 THB , shall apply in a case of an eligible assessee mentioned in rule 10 THA and-

(a) the eligible assessee, referred to in clause (i) of rule 10 THA, shall keep and maintain the following information and documents, namely:-

(i) a description of the ownership structure of the assessee enterprise with details of shares or other ownership interest held therein by other enterprises;

(ii) a broad description of the business of the assessee and the industry in which the assessee operates, and of the business of the associated enterprises with whom the assessee has transacted;

(iii) the nature and terms (including prices) of specified domestic transactions entered into with each associated enterprise and the quantum and value of each such transaction or class of such transaction;

(iv) a record of proceedings, if any, before the regulatory commission and orders of such commission relating to the specified domestic transaction;

(v) a record of the actual working carried out for determining the transfer price of the specified domestic transaction;

(vi) the assumptions, policies and price negotiations, if any, which have critically affected the determination of the transfer price; and

(vii) any other information, data or document, including information or data relating to the associated enterprise, which may be relevant for determination of the transfer price;

(b) the eligible assesse, referred to in clause (ii) of rule 10THA, shall keep and maintain the following information and documents, namely:-

(i) a description of the ownership structure of the assessee co-operative society with details of shares or other ownership interest held therein by the members;

(ii) description of members including their addresses and period of membership;

(iii) the nature and terms (including prices) of specified domestic transactions entered into with each member and the quantum and value of each such transaction or class of such transaction;

(iv) a record of the actual working carried out for determining the transfer price of the specified domestic transaction;

(v) the assumptions, policies and price negotiations, if any, which have critically affected the determination of the transfer price;

(vi) the documentation regarding price being routinely declared in transparent manner and being available in public domain; and

(vii) any other information, data or document which may be relevant for determination of the transfer price.".

3. In rule 10THA of the said rules, for the words "and is a Government company engaged in the business of generation, transmission or distribution of electricity" , the following shall be substituted, namely :-

"and-

(i) is a Government company engaged in the business of generation, transmission or distribution of electricity; or

(ii) is a co-operative society engaged in the business of procuring and marketing milk and milk products".

4. In rule 10THB of the said Rules, after clause (iii) the following clause shall be inserted, namely:-

"or

(iv) purchase of milk or milk products by a co-operative society from its members.".

5. In sub-rule (2) of rule 10THC of the said rules, in the Table, after serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"2	Purchase of milk or milk products referred to in clause (iv) of rule 10THB.	The price of milk or milk products is determined at a rate which is fixed on the basis of the quality of milk, namely, fat content and Solid Not Fat (SNF) content of milk; and- (a) the said rate is irrespective of,- (i) the quantity of milk procured; (ii) the percentage of shares held by the members in the co-operative society; (iii) the voting power held by the members in the society; and (b) such prices are routinely declared by the co-operative society in a transparent manner and are available in public domain.".

6. In sub-rule (1) of rule 10 THD of the said rules, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that in respect of eligible specified domestic transactions, referred to in clause (iv) of rule 10 THB, undertaken during the previous year relevant to the assessment year beginning on the 1^{st} day of April, 2013 or beginning on the 1^{st} day of April, 2014 or beginning on the 1^{st} day of April, 2015, Form 3CEFB may be furnished by the assessee on or before the 31st day of December, 2015."

7. In Appendix II to the said rules, in Form No. 3CEFB, in sub-paragraph 2, in the Table, after serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"2.	Has the eligible assessee entered into any specified domestic transaction in respect of purchase of milk and milk products referred to in clause (iv) of rule 10THB? If yes, provide the following details: (a) The quantity of milk and milk products purchased during the year from the members.	Yes/No
	(b) Details of milk equivalent of the milk products purchased from members.	<table><tr><td>Milk product</td><td>Milk equivalent</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>
	(c) The rate or rates at which milk or milk products have been purchased during the year.	<table><tr><td>Rate</td><td>Period during which applicable</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>
	(d) Whether payment for purchase of milk or milk product has been made at the same rate to all the members of the co-operative society.	Yes/No
	(e) Whether transfer price is in accordance with the circumstances specified under rule 10THC.	Yes/No".

[Notification No. 90/2015/F.No. 142/7/2014-TPL]

EKTA JAIN, Dy. Secy. (Tax Policy and Legislation)

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number S.O. 969(E), dated the, 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number GSR No. 923(E) dated the 2nd December, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.